न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

मुन्नीराम बागडिया
आर0 ए0 एस0

निगरानी संख्या :– 06/2012

ग्राम पंचायत भोजासर, पंचायत समिति,झुंझुनू जिला झुंझुनू राजस्थान,।

निगरानीकार

– बनाम–

1. बजरंगलाल पुत्र पन्नाराम जाति खाती निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. कुलदीप पुत्र बजरंगलाल, जाति खाती निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. मु0 किताब पत्नी केशर जाति चमार निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. श्रीमती ज्यानकी पत्नी केशर जाति चमार निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
5. सुरेन्द्र पुत्र महावीर जातिखाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
6. रामनिवास पुत्र जगदीश जाति खाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
7. महीपाल पुत्र जगदीश जाति खाती निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
8. नथूराम पुत्र केशर जाति खाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
9. योगेश पुत्र रामनिवास जाति खाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
10. श्रीमती रामदेई पत्नी महावीर जाति खाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
11. श्रीमती अनिता पत्नी मुकेश जाति चमार, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
12. श्रीमती श्रवणी पत्नी शिवकरण जाति खाती निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
13. मु0 परमेश्वरी पत्नी श्रीताराम जाति चमार निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
14. श्रीमती दुर्गी देवी पत्नी रामेश्वर जाति चमार निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
15. सुरेन्द्र पुत्र जगदीश जाति खाती निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
16. सूर्यप्रकाश पुत्र नरेन्द्र जाति खाती निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
17. संत कुमार पुत्र रूपाराम जाति खाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
18. नारायण राम पुत्र भैरूराम जाति चमार, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
19. अरविन्द पुत्र मदन जाति खाती निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
20. जगदीश पुत्र प्रभू जाति चमार निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
21. श्रीमती ग्यारसी पत्नी जगदीश जाति चमार, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
22. मनीष पुत्र सांवरमल जाति खाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
23. संवरमल पुत्र शुभकरण जाति खाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
24. शुभकरण पुत्र दूदाराम जाति खाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
25. श्रीमती किस्तूरी पत्नी मंगेजजाति चमार, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
26. विनोद पुत्र शिवकरण, जाति खाती निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
27. नगेन्द्र पुत्र शिवकरण जाति खाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
28. शिवकरण पुत्र दूदाराम जाति खाती, निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
29. नन्दलाल पुत्र कालूराम जाति चमार निवासी भोजासर तहसील व जिला झुन्झुनू।

30. राकेश पुत्र नेमीचन्द जाति जाट निवासी बहादुरवास तहसील झुंझुनू हाल ग्राम सेवक ग्राम पंचायत भोजासर, तहसील व जिला झुंझुनू।

—गैर निगरानीकारगण

निगरानी अ0धा0 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
निगरानी खिलाफ आदेश सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर
बाबत पट्टा संख्या 1 लगायत 13 व पट्टा संख्या 16 लगायत 18
एवं 20 लगायत 32 दिनांकित 27.9.2004, भूमि खसरा नंबर 259/1
सरहद मौजा भोजासर।

उपस्थिति :—
1. श्री विजयपाल, एडवोकेट — निगरानीकार की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट — गैर निगरानीकार की ओर से

—निर्णय—

दिनांक :— 13.6.2018

उक्त उनवानी निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भोजासर बाबत पट्टा संख्या 1 लगायत 13 व 16 लगायत 18 एवं 20 लगायत 32 दिनांक 27.9.2018 भूमि खसरा नंबर 259/1 सरहद मौजा भोजासर के विरूद्ध पेश की गई । संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि— गैर निगरानीकार संख्या 29 तत्कालीन सरपंच नन्द लाल व संख्या—30 राकेश कुमार तत्कालीन ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत भोजासर ने गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 एवं स्व. जगदीश तथा गैर निगरानीकार संख्या 4 लगायत 28 के हक में क्रमशः पटटा संख्या 1 लगायत 13 व 16 लगायत 18 तथा 20 लगायत 32 जमीन हाल खसरा नंबर 259/1 में से प्रत्येक के हक में 150 वर्गगज भूमि के पट्टे दिनांक 29.09.2004 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियमों के उल्लघर करते हुये तथा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अवैधानिक रूप से आवासीय पट्टे जारी किये, जिनको खारिज करवाने के लिए निगरानी प्रस्तुतकर निवेदन किया कि—जमीन मूल खसरा नंबर 259/1 सरहद मौजा भोजासर में स्थित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत भोजासर के प्रस्ताव पर जिला कलक्टर झुंझुनूने अपने आदेश कमांक एफ 12 3 राजस्थान /96 / 2444—50 दिनांक 15.6.96 के द्वारा जमीन खसरा नंबर 259/1 तादादी 9 बीघा 6 विश्वा मेंसे 2 एकड़ भूमि राजस्थान भू—राजस्व स्कूलों, कॉलेजों, औषधालय, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के भवनों के निर्माण राजकीय अनाधी वासित भूमि का आवंटन नियम 1963 के

तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला भोजासर के भवन निर्माण व खेल मैदान हेतु आवंटित की थी। जो जरिये नामांतरकरण संख्या 435 के तहत आवंटित भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई । उक्त आवंटित भूमि को उक्त नामान्तरकरण संख्या 435 की पुश्त पर अंकित नक्शे मेंदर्शितकिया गया एवं उक्त आवंटित भूमिका कब्जा भौतिक रूप से दिनांक 27.6.1996 को पटवारी हल्का ने तत्कालीन सरपंच श्रीमती सावित्री देवी को सम्भलवाया। उक्त फर्द कब्जा से राजकीय प्राथमिक विधालय भोजासर को आवंटित भूमि की हदूद भी स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है। इस प्रकार उक्त 2 एकड़ भूमि राजकीय प्राथमिक पाठशाला भोजासर को आवंटित की गई । उक्त आवंटन अस्तित्व में है।

गैर निगरानीकार संख्या 29 के कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत भोजासर ने उक्त खसरा नंबर की भूमि में से दक्षिणी दिशा की 2 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित करवानेका प्रस्ताव लिया। प्रस्तावित भूमि मौके पर खालीहोने बाबत तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 20.10.2001 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई तत्कालीन पटवारी हल्का तथा गैर निगरानीकार संख्या 29 व 30 को जमीन खसरा नंबर 259/1 के उतरी दिशा में 2 एकड़ आवंटित भूमि बहक राजकीय प्राथमिक विधालय भोजासर की जानकारी रही है। उक्त तथ्य की जानकारी होते हुये भी साजसी रूप से राजस्व रिकार्ड व आवंटन आदेश दिनांक 15.6.96 को नजर अंदाज कर स्कूल केलिएआवंटित भूमि के स्थान का कब्जाआबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि हेतु गैर कानूनी रूप से प्राप्त करना दर्शाया । उक्त स्थिति पटवारी हल्का ने व गैर निगरानीकार संख्या 29 व 30 ने नामान्तारकरण संख्या 547 दिनांक 31.12.2002 की पुश्त पर भी दर्शाई है एवं उक्त आबादी भूमि का खसरा नंबर नामांतकरण संख्या 547 की पुश्त पर 259/1/1 गलत रूप से दर्ज किया है। इस प्रकार राजकीय पाठशाला के हक में आवंटित भूमि की जगह हीआबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का गलत रूप से कब्जा प्राप्त करना दर्शाया गया है। वास्तविक रूप से जिला कलेक्टर, झुंझुनू द्वारा जमीन खसरा नंबर 259/1 में से 2 बीघा भूमि आबादीविस्तार हेतु ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के मुताबिक दक्षिण दिशा में आवंटित की गई थी। जिसमें तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक गैर निगरानीकार संख्या 29 व 30 ने जानबूझकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुये तथा राजस्व रिकार्ड व ग्राम पंचायत के रिकार्ड को नजर अन्दाज करते हुये उक्त भूमि खसरा नंबर 259/1 में से गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत28 तथा स्व. जगदीश के हक में प्रत्येक को 150 वर्गगज भूमि के पट्टे जारी कर स्कूल के लिए आवंटित भूमि का कब्जा देना तय कर विधि के विरूद्ध कृत्य किया है।

निगरानीकार ने आगे कथन किया कि गैर निगरानीकार संख्या 3, 4, 8, 11 तथा 13 व 14, 18, 20, 21, 25 जाति से अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त अनुसूचित जाति के सदस्यों को गैर निगरानीकार संख्या 29 व 30 ने तथा कथित रूप से जारी किये गये पटटे की भूमि पर कोई भौतिक कब्जा नहीं दिया है तथा ना ही उक्त अनुसूचित जाति के गैर निगरानीकार संख्या 29 व 30 को कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं । गैर निगरानीकार संख्या 30 ग्राम सेवक व गैर निगरानीकार संख्या 29 तत्कालीन सरपंच ने फर्जी रूप से आवेदन पत्र तैयार कर उक्त अनुसूचित जाति के फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टे जारी किये हैं जो कि एक अवैधानिकता है। गैर निगरानीकार संख्या 29 व 30 ने ग्राम पंचायत अधिनियम 1994 तथा राज0 पंचायत राज नियमों का उल्लंघन कर पटटे जारी किये हैं ग्राम भोजासर के निवासी कुरड़ाराम पुत्र दानाराम जाति चमार की शिकायत पर माह दिसम्बर 2005 में पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा उक्त पटटो के संदर्भमें विस्तार से जांच की गई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक भी उक्त पट्टे गलत रूप से जारी होना साबित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत ने राज0 पंचायत राज अधि0 142 का उल्लंघन किया है। ग्राम पंचायत द्वारा तमाम पट्टे बिना योजना बिना प्रारूप तैयार किये जारी किये गये है जो कबिले खारिज है। तत्कालीन ग्राम पंचायत ने राज0पंचायत राज नियम 142 की पालना नहीं की है । नियम 142 (2)के अनुसार पटटा प्राप्ति आवेदन के साथ स्थल निरक्षण के खर्च पेटे25 रूपये की राशि जमा करवाये जाने का प्रावधान है। तथाकथित आवेदन पत्र किस तारीख को ग्राम पंचायत को प्राप्त हुये तथा किस तारीख को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये, किसी भीआवेदन पत्र पर तारीख नहीं है। गैर निगरनीकार सन्तकुमार तथा जगदीश को जारी किये गये पटटो के साथ उनके आवेदन पत्र भी नहीं हैं। नियम 147 (1)के अनुसार तत्कालीन पंचायत ने अंतिम रूप से भूमि के पटटे जारी करने बाबत कोई विनिश्चय नहीं किया है। तत्कालीन ग्राम पंचायत ने नियम 148 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम पंचायत ने तमाम भूखण्ड रियायती दर से कम दर पर दिये है। काननू से रियायतीदर पर भूखण्ड जरूरत मंद तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति , विधवा को ही दिये जाने का प्रावधान है। कमजोर वर्ग के किसी भी व्यक्ति को पट्टे आवंटितनहीं किये गये। तत्कालीन ग्राम पंचायत ने विशेष व्यक्तियों को फायदा पंहुचाने के उद्देश्य से उपरोक्त पट्टे जारी किये हैं। गैर निगरानीकार संख्या 29 व 30 ने उक्त भूमि के बाबत जारी किये गये पट्टों की पत्रावली से तमाम आवश्यक कागजात कायब कर दिये। गैर निगरानी कार संख्या 17 संतकुमार व गैर निगरानीकार संख्या 19 अरविन्द के अलावा जितने भी खाती जाति के सदस्य हैं वे तमाम एक ही परिवार के सदस्य हैं जो दूदाराम व्यक्ति के वारिस हैं जिनकी वंशावली भी अंकित की गई। इस प्रकार एक ही परिवार के सदस्यों को पट्टे

जारी कर अनियमितता व अवैधानिकता की गई है। तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम सेवक ने तय दर से भी कम दर पर पट्टे जारी कर ग्राम पंचायत कोष में अपने पद का दुरूपयोग कर घाटा पंहुचाया है, जो अंकेक्षण दल की रिपोर्ट से भी साबित है। इस कारण उक्त पटटे खारिज होने योग्य हैं।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भोजार ने राजकीय प्राथमिक विधालय को आवंटित 2 एकड़ भूमि में से आबादी हेतु आवंटित 2 बीघा भूमि का कब्जा जानकारी होते हुये भी सरपंच ने पटवारी से साज करके ले लिया जबकि आबादी विस्तार हेतु भूमि का प्रस्ताव ग्राम पंचायत ने स्कूल को आवंटित भूमि के दक्षिणी तरफ का लिया था । उक्त विधालय को आवंटित भूमि में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर गैर निगरानी कार संख्या 1 से 28 तथा स्व जगदीश को, प्रत्येक को150 वर्ग गजभूमि का पट्टा दे दिया गया । इन पट्टो पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है। पटटा जारी करने से पूर्व किसी तरह की प्रकिया नहीं अपनायी गई। अधिकतर पट्टे अपने ही परिवार के व्यक्तियों को जारी कर दिये गये जो पटटा प्राप्त करने की पात्रता भी नहीं रखते थे। जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पटटे जारी किये गये उनको कब्जा नहीं दिया गया और ना ही उनसे पटटा या भूमि चाहने हेतु कोई आवेदन पत्र लिया गया। सभी पट्टे राज0 पंचायत राज अधि0 के प्रावधानों को ताक पर रखकर अपने परिवार के लोगों को व अन्य चहते लोगों को बिना वैधानिक प्रकिया अपनाये जारी किये गये है, जो निरस्त होने योग्य हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उक्त पट्टों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार ने बताया कि –निगरानीकार ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा पट्टा संख्या 1 से 28 तथा स्व0 जगदीश को आबादी भूमि में जारी पट्टों को चैलेंज किया गया है। ग्राम पंचायत के मूल प्रस्ताव को चैलेंज नहीं किया गया है, जो ग्राम पंचायत सदन का ही आदेश है जिसकी पालना में उक्त पट्टे जारी किये गये हैं और ग्राम पंचायत ही आदेश के

खिलाफनिगरानी पेश कर रही है, जो कानूनन गलतहै। निगरानीकार ने विधालय को आवंटित भूमि में से उक्त पटटे जारी करना बताया गया है । जिला कलक्टर के आवंटन आदेश के खिलाफ पटटे दिये जाने पर एल.आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत अपील करनी चाहिए। पट्टा केवल आदेश की इजरा है। कानून आदेश इजरा के खिलाफ निगरानी नहीं हो सकती। प्रत्येक पट्टे की अलग–अलग निगरानी पेश होनी चाहिए थी। आडिट का अगर आक्षेप है तो पटटेधारियों को नोटिस देकर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा जिला कलक्टर द्वारा ग्राम पंचायत भोजासर को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि में ही गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विधिक प्रकिया के तहत पट्टे जारी किये गये हैं । ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने के विधिक अधिकार प्राप्त हैं। अतः उक्त पट्टों के आधार पर आवंटी पटटा जारी होने के दिन से मौके पर काबिज हैं जिनको इतने लंबे समय बाद पट्टा निरसत कर बेदखल किया जाना कतई न्यायोचित नहीं होगा। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी चलने योग्य नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार, ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा निगरानी प्रस्तुत होने पर बाद पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.03.2008 द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा दिनांक 27.09.2004 को जारी उक्त विवादित पट्टो को निरस्त किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 13.03.2008 के विरूद्ध गैर निगरानीकारान द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच जयपुर में एस0बी0 सिविल रीट पीटिशन संख्या 4124/2008 प्रस्तुत की गई है, जिसको राज0 उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय दिनांक 03.05.2011 द्वारा रिट पीटिशन स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.3.2008 को निरस्त किया गया है तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ इस न्यायालय को रिमाण्ड की गई है कि– "क्या गैर निगरानीकार भूमिहीन व्यक्ति हैं और उनको आवंटन करने की सदभावी आवश्यकता है, दोनों कानूनी बिन्दूओं की जांच कर पुनः निर्णय पारित करें ।" पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर प्रकरण की पत्रावली अभिलेखागार से तलब की जाकर पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। और माननीय राज0 उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा उक्त रिट पीटिशन में दिये गये निर्देशों की पालना में तहसीलदार झुंझुनू से गैर निगरानीकारान के भूमिहीन होने एवं सद्भावी आवश्यकता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार झुंझुनू के पत्रांक राज/2018 दिनांक 1735 दिनांक 05.06.20018 के द्वारा बताया गया कि "प्रकरण की जांच हल्का पटवारी भोजासर से करवाई गई,

जांच के अनुसार एक भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं पाया गया । उक्त प्रकरण में संबंधित व्यक्तियों की जमाबंदी सम्वत 2074–77 की प्रति संलग्न कर अंकित किया गया कि इन व्यक्तियों को अन्यत्र भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एस.बी सिविल रिट पीटिशन संख्या 4124/2008 के निर्णय दिनांक 03.05.2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दोनों बिन्दुओं की बाद जांच गैर निगरानीकारान को उक्त पट्टा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं पाया गया । पत्रावली के अवलोकन से उक्त सभी पट्टे जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत भोजासर ने पट्टे दो ही जातियों के व्यक्तियों को जारी किये गये हैं जिनमें भी अधिकतर पट्टे बिना विधिक प्रकिया के एक ही जाति एवं परिवार के व्यक्तियों को जारी किये गये हैं जो बाद जांच सभी पट्टाधारी भूमिहीन एवं सदभावी आवश्यकता के लिए पात्र नहीं पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 27.09.2004 जिसके द्वारा उक्त विवादित पट्टे संख्या 1 लगायत 13 व 16 लगायत 18 एवं 20 लगायत 32 जारी किये गये है, निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।

(मुन्नीराम बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू